

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

अजमेर

श्री लाडी व अन्य

बनाम लाडू व अन्य


किरम मुकदमा 212

नम्बर 72/2015 सन

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.12.2022	<p>श्री</p> <p>पत्रावली पेश हुई । वकिल उभय पक्ष उपस्थित । वकील प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्रआदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. दिनांक 07.04.2022 को प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 4 सुगनचन्द पुत्र श्री उंकारलाल एवं अप्रार्थी संख्या 5 श्रीमती नन्दू देवी का स्वर्गवास होना उल्लेखित कर अबेटमेंट एवं देरी को क्षमा कर अप्रार्थी संख्या 4 का नाम तर्क हेतु एवं अप्रार्थी संख्या 5 के विधिक वारिसान को रेकार्ड पर लिए जाने का निवेदन किया गया ।</p> <p>जवाब में अप्रार्थी संख्या 6 के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आदेश 22 नियम 03 व 04 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाते समय पक्षकार की मृत्यु की तिथि उल्लेखित किया जाना विधि का आज्ञापक सिद्धान्त है। परन्तु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 के स्वर्गवास की तिथि उल्लेखित नहीं की गई है। साथ ही अप्रार्थी संख्या 05 के स्वर्गवास की भी कोई तिथि उल्लेखित नहीं की गई है तथा ना ही विधिक वारिसान के सम्बन्ध में कोई सजरा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमियों में 1/7-1/7 हिस्से की घोषणा हेतु प्रस्तुत की गया है जिसकी घोषणा खातेदारी होने के पश्चात ही विभाजन का वैकल्पिक अनुतोष प्रदान किया जाना सम्भव है ऐसी स्थिति में विभाजन का वाद अबेट नहीं होने बाबत कथन विधिक प्रावधानों के विपरित है । पक्षकारों की मृत्यु अथवा अन्य तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थीगण स्वयं को अपने हक अधिकारों के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है परन्तु वर्तमान प्रार्थना पत्र के तहत प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार की कोई सजगता प्रकट नहीं की गई है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त कर वाद पत्र अबेट हो जाने से निरस्त फरमावे।</p> <p>राजकीय पेरोकार द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिकथनों को सही नहीं होना कथन कर प्रार्थना पत्र स्वतः ही अबेट हो जाने से निरस्त हेतु निवेदन किया है।</p>	

6  
उपखण्ड अधिकारी  
अजमेर

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4, 9 सपठित धारा 151 जा.दी. मय धारा 5 मियाद अधिनियम में अप्रार्थी संख्या 4 सुगनचन्द एवं अप्रार्थी संख्या 5 श्रीमती नन्दूदेवी के स्वर्गवास की दिनांक अंकित नहीं की गई है। साथ ही प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया । इसके विपरित प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णितानुसार अप्रार्थी संख्या 4 के स्वर्गवास की जानकारी तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस पर अंकित रिपोर्ट से होना उल्लेख किया गया है जबकि पत्रावली पर न्यायालय हाजा द्वारा जारी किसी भी नोटिस पर अप्रार्थी संख्या 4 के स्वर्गवास की रिपोर्ट अंकित होना प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रार्थीगण यह सिद्ध किए जाने में असफल रहा कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 का स्वर्गवास कब हो गया था । प्रार्थीगण द्वारा वर्तमान वाद पत्र दिनांक 09.09.2015 को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र दिनांक 26.04.2022 को प्रस्तुत हुआ है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अप्रार्थी संख्या 4 व 5 स्वर्गवास की जानकारी नहीं होना सदेह से परे स्वीकार किए जाने योग्य तथ्य प्रकट नहीं होता है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस एवं मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति से अप्रार्थी संख्या 9 श्रीमती श्रवणी देवी का स्वर्गवास भी दिनांक 13.10.2020 को हो जाना प्रमाणित है, जिस संबंध में भी वादीगण द्वारा आज दिवस तक विधिक वारिसान की कार्यवाही नहीं की गई है, से भी वादीगण का वाद पत्र स्वतः हो अबेट हो चुका है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने में हुई देरी का प्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार से कोई पर्याप्त व सदभाविक कारण उल्लेखित नहीं किए जाने से प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिसीमा अधिनियम 1963 में उल्लेखित अनुसूची के क्रम संख्या 120 में वर्णित अवधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं होने तथा मियाद के सम्बन्ध में दर्शित कारण सदभाविक प्रतीत नहीं होने से अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जा.दी. में मय प्रार्थना पत्र धारा 5 अस्वीकार कर फलस्वरूप वादीगण का प्रार्थना पत्र अबेट हो जाने से इसी स्तर पर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है । पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
उपखण्ड अधिकारी

अजमेर

उप खण्ड अधिकारी  
अजमेर